

पत्रांक-09/न्याय0-09-03/2018 सा0प्र0...3813/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राज किशोर तिवारी,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष
कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/गृह विभाग (विशेष शाखा),
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पथ निर्माण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री सचिवालय/लघु जल संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-24/2/2026

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-09.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु अपेक्षित सूचना एवं अन्य कागजात के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में श्री रघुवंश सिंह एवं अन्य द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु सी0डब्लू0जे0 संख्या-1186/2017 रघुवंश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.02.2026 को न्यायादेश पारित किया गया है। तदालोक में संलग्न सूची के कर्मियों का विहित प्रपत्र में वाछित सूचनाएँ, सेवापुस्त की छायाप्रति गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोप की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अपेक्षित है।

अतएव अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित कर्मियों का विहित प्रपत्र में वाछित सूचनाएँ, सेवापुस्त की छायाप्रति गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोप की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। मामला न्यायालय से आच्छादित है।

अतः इसे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक-प्रपत्र (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 संबंधी जांच प्रपत्र/
सेवा/आरोप/चरित्र संबंधी विहित प्रपत्र)

विश्वासभाजन,

(राज किशोर तिवारी),
सरकार के अवर सचिव

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों / कर्मियों को ACP/MACP प्रदान किये जाने संबंधी सूची:-

क्र०सं०	पदाधिकारी / कर्मी का नाम	अंतिम पदस्थापन विभाग
1	रधुवंश सिंह, आप्त सचिव (से०नि०)	कृषि विभाग, बिहार, पटना
2	सुभाष चन्द्र दास, आप्त सचिव (से०नि०)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना
3	सुनील कुमार श्रीवास्तव प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना
4	स्व ओम प्रकाश ठाकुर, आप्त सचिव (से०नि०)	कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना
5	प्यारे प्रसाद, आप्त सचिव (से०नि०)	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
6	आनंद मोहन पाण्डेय, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
7	राजबल्लभ प्रसाद, आप्त सचिव (से०नि०)	मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना
8	दिनेश कुमार सिंह, आप्त सचिव (से०नि०)	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
9	विनय कुमार लाल, आप्त सचिव (से०नि०)	गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना

DP
28/07/16

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना
(ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना) के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जाँच प्रपत्र

1. विभाग/कार्यालय का नाम.....
2. सरकारी सेवक का नाम.....
3. जन्म तिथि/सेवा निवृत्ति की तिथि.....
4. सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम.....
5. वत्तर्मान धारित पद पर योगदान की तिथि/वेतनमान/वरीयता.....
तिथि जिससे वेतन प्राप्त किया गया.....
6. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि.....
7. सेवा सम्पुष्ट की तिथि.....
8. संविलयन का लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं, पूर्ण विवरण दें.....
9. यदि कोई प्रोन्नति मिली हो तो विवरण.....
 - क. निजी सहायक.....
 - ख. आप्त सचिव.....
 - ग. प्रधान आप्त सचिव.....
 - घ. वरीय प्रधान आप्त सचिव.....
 - ङ. प्रथम कालबद्ध..... द्वितीय कालबद्ध.....
 - च. उच्चतर पद (जिस पर प्रोन्नति मिली हो).....
 - छ. दिनांक-09.08.1999 से देय प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ.....
 - ज. द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ.....
10. यदि प्रोन्नति रद्द कर दी गयी हो तो उसकी विवरणी
11. **(क) पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन से संबंधित विवरणी:-**
 - (i) बारह (12)/दस (10) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि.....
 - (ii) चौबीस (24)/बीस (20) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि

(ख) प्रस्तावित वित्तीय उन्नयन से संबंधित विवरणी:-

 - (i) बारह (12)/दस (10) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं देय (प्रस्तावित) प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि
 - (ii) चौबीस (24)/बीस (20) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं देय (प्रस्तावित) द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि

(iii) तीस (30) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं एवं देय (प्रस्तावित) तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि.....

12. विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही की स्थिति.....
13. यदि कोई अभ्युक्ति हो तो.....
14. प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय उन्नयन संबंधी प्रस्ताव के साथ संबंधित कर्मों की सेवापुस्त (सभी पृष्ठों सहित) की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गई है।

संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर सहित